

भारत में राज्यों का पुनर्गठन

भारत में राज्यों का पुनर्गठन

वर्ष 1956 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग ने 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित प्रदेशों के गठन का सुझाव दिया था।
वर्तमान भारत में 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं।

1950 राज्यों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया - भाग A, B, C और D (प्रथम अनुसूची)

- भाग A- निर्वाचित राज्य विधानमंडल, जो राज्यपाल द्वारा शासित होंगे
- भाग B- पूर्व रियासतें
- भाग C- पूर्व मुख्य आयुक्तों के प्रांत, कुछ रियासतें
- भाग D- अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह

7वाँ संविधान संशोधन (1956)

- भाग-A और भाग-B के राज्यों के बीच का अंतर समाप्त कर दिया गया
- भाग-C के राज्यों को समाप्त कर दिया गया
- (पूर्ववर्ती) राज्यों की कुल संख्या 14 और केंद्रशासित प्रदेश की संख्या 6 है

वर्ष 1956 के पश्चात् राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का पुनर्गठन/निर्माण

अन्य राज्यों से अलग हुए राज्य

- बाँम्बे से गुजरात और महाराष्ट्र (बाँम्बे पुनर्गठन अधिनियम, 1960)
- असम से नगालैंड (नगालैंड राज्य अधिनियम, 1962)
- पंजाब से हरियाणा (पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966)
- असम से मेघालय (पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971)
- मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ (मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000)
- उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000)
- बिहार से झारखण्ड (बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000)
- आंध्र प्रदेश से तेलंगाना (आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014)

राज्य का दर्जा देने के पश्चात् गठित राज्य

- हिमाचल प्रदेश (हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970)
- मणिपुर और त्रिपुरा (पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971)
- सिक्किम (36वाँ संविधान संशोधन (1975))
- मिज़ोरम (मिज़ोरम राज्य अधिनियम, 1986)
- अरुणाचल प्रदेश (अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1986)
- गोवा (गोवा, दमन एवं दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987)

केंद्रशासित प्रदेशों का गठन

- अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, लक्षद्वीप - 1956
- पुदुचेरी - 1962
- चंडीगढ़ - 1966
- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख - 2019
- दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव - 2020

और पढ़ें: [राज्य के दर्जे की मांग, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/reorganisation-of-states-in-india>

